भारत सीट्स लिमिटेड

सीआईएन : L34300DL1986PLC023540
पंजीकृत कार्यालय : 1, नेल्सन मण्डेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110 070
निगमित कार्यालय : भूखंड सं. 1, मारुति उद्योग ज्वाइंट वेंचर कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम–122015 (हरियाणा) भारत
दूरभाष : 91 9643339870.74, ई–मेल : investor_relations@bharatseats.net
वेबसाइट : www.bharatseats.com

सूचना

भारत सीट्स लिमिटेड के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और अन्य लागू कानूनों और विनियमों द्वारा जारी सामान्य परिपत्र और अधिसूचनाओं के साथ पठित, पोस्टल बैलट नोटिस में उक्त सूचना में निर्धारित संकल्पों पर सदस्यों के अनुमोदन की मांग की गई है, जो सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') द्वारा 26 सितंबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों को भेज दी गयी है, जिनके ई–मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ शुक्रवार, 20 सितंबर 2024 को, कट–ऑफ दिनांक, को पंजीकृत हैं। पोस्टल बैलेट नोटिस में निर्धारित व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा सदस्यों का अनुमोदन मांगा जाता है।

सदस्य कंपनी की वेबसाइट **www.bharatseats.com**, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड **www.bseindia.com** पर और एनएसडीएल की वेबसाइट यानी **https://www.evoting.nsdl.com/** पर उपलब्ध पोस्टल बैलेट नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट नोटिस में उल्लिखित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं और ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य **investor_relations@bharatseats.net** पर ई–मेल भेज सकते हैं।

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, पोस्टल बैलेट नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जा रहा है जिनके नाम शुक्रवार, 20 सितंबर 2024 (कट–ऑफ तिथि) तक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी मालिकों की सूची में शामिल हैं और जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरीज के साथ अपने ई–मेल पते पंजीकृत कर दिये हैं।

सदस्य(गण) जिनके नाम कट–ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दिखाई देते हैं, उन पर ई–वोटिंग के लिए विचार किया जाएगा। एक व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से समझना चाहिए।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी लागू परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ई–वोटिंग) द्वारा अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। ई–वोटिंग शुक्रवार, 27 सितंबर 2024 को सुबह 9 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और शनिवार, 26 अक्टूबर 2024 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) तक समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार संकल्प पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश पोस्टल बैलेट नोटिस का हिस्सा हैं।

जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे निम्नलिखित विधि से पंजीकृत करें:

i) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उन्हें **vijayps1@alankit.com** पर एक ई–मेल भेजकर कंपनी/आरटीए के साथ इसे पंजीकृत करना आवश्यक है।

ii) डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें अपने उन डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करना होगा, जिनके साथ वे अपना डीमैट खाता बनाए रखते हैं।

फिजिकल मोड, डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उन सदस्यों के लिये पोस्टल बैलेट नोटिस में ई–वोटिंग का तरीका प्रदान किया गया है।

संकल्प, यदि पोस्टल बैलेट के माध्यम से सदस्यों द्वारा अपेक्षित बहुमत के साथ पारित किया जाता है, तो मतदान अवधि की अंतिम तिथि यानी 26 अक्टूबर 2024 को पारित माना जाएगा। पोस्टल बैलेट के परिणाम सोमवार 28 अक्टूबर 2024 को या इससे पहले घोषित किए जाएंगे। परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी प्रदर्शित किए जाएंगे, परिणामों के बाबत उन स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और उन्हें कंपनी की वेबसाइट **www.bharatseats.com** और एनएसडीएल की वेबसाइट यानी **https://www.evoting.nsdl.com/** पर स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ प्रदर्शित किया जायेगा।

निदेशक मंडल ने श्री आर.एस. भाटिया, कार्यरत् कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएसः 2599, सीपी संख्या 2514), और उनकी अनुपस्थिति में श्री हरदेव सिंह, कार्यरत् कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएसः 6673, सीपी संख्या 3317) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रियायों की जांच करने के लिए एक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या रखने वाले सदस्य **www.evotingindia.com** पर उपलब्ध प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') और ई–वोटिंग मैनुअल को सहायता अनुभाग के तहत देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं, या **evoting@nsdl.co.in** पर एक ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 022 – 48867000 पर सभी कार्यदिवसों में काम के घंटों के दौरान कॉल कर सकते हैं। सदस्यगण, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को भी लिख सकते हैं या **ritu@bharatseats.net** पर ई–मेल भेज सकते हैं।

कृते भारत सीट्स लिमिटेड
हस्ता./–
ऋतु बख्शी
कंपनी सचिव
एफसीएस नं. 3401

स्थान : गुरुग्राम
दिनाँक : 27 सितंबर 2024

टाटा कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत पता : टॉवर ए, 11वां तल, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई - 400013
शाखा पता : 03वाँ तल, राजेंद्र प्लाइंट, 1 रघुनाथ नगर, एम.जी. रोड, आगरा - 282002

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के अंतर्गत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

ऋण खाता सं.: 7177233 : श्रीमती मीरा गौतम

यह सूचित किया जाता है कि **टाटा कैपिटल लिमिटेड** (टीसीएल) एक अ–बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वां तल, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई– 400013 में है और उत्तर प्रदेश में अन्य स्थानों के अलावा एक शाखा कार्यालय ("शाखा") है। कि दिनांक 24.11.2023 के आदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित धारा 230 से 232 के प्रावधानों के अंतर्गत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("टीसीएफएसएल") और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड ("टीसीसीएल") के बीच हस्तांतरणकर्ताओं के रूप में और **टाटा कैपिटल लिमिटेड** ("टीसीएल") के बीच हस्तांतरिती के रूप में व्यवस्था की योजना ("उक्त योजना") को विधिवत मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल (हस्तांतरणकर्ता कंपनियां) अपने उपक्रम के साथ 01.01.2024 की प्रभावी तिथि से सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, अधिकारों, लाभों, हित, कर्तव्यों, दायित्वों, देनदारियों, अनुबंधों, समझौतों, प्रतिभूतियों आदि के साथ एक चलायमान कंपनी के रूप में टीसीएल के साथ संविलित हो गए हैं। उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में, टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज और उसके संबंध में सभी बकाया, आवेदक कंपनी को हस्तांतरित हो गए और इस प्रकार टीसीएल उसके अनुसार (उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं) से उसका दावा करने की अधिकारी है।

एतद्द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप में नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो **टाटा कैपिटल लिमिटेड** (प्रतिभूत ऋणदाता/टीसीएल) के पास बंधककृत है, जिसका अभिग्रहण **टाटा कैपिटल लिमिटेड** (प्रतिभूत ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसका 23 अक्टूबर 2024 को **"जैसी है जहां है आधार" और "जैसी है जो है और वहां जो कुछ भी है तथा बिना किसी सहारे के आधार"** पर विक्रय किया जायेगा।

जबकि प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए प्रतिभूत परिसंपत्ति की बिक्री की जानी है और जबकि **रु. 2,35,33,115.74/– (रुपये दो करोड़ पैंतिस लाख तैंतिस हजार एक सौ पंद्रह एवं चौवहत्तर पैसे मात्र)** की एक राशि ऋण खाता संख्या 7177233 के द्वारा 25/09/2024 के अनुसार, बकाया थी, जो कि उधारकर्ताओं एवं सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों, अर्थात **(1) श्रीमती मीरा गौतम** पत्नी अनिल गौतम तथा **(2) श्री अनिल कुमार गौतम** पुत्र स्वर्गीय रामभरोसे गौतम, **दोनों निवासीः** मकान/फ्लैट सं. 203, द्वितीय तल, सूर्या अपार्टमेंट, लॉयर्स कॉलोनी, दयालबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश–282005. (3) मैसर्स गौतम स्टाइलिश स्कार्प, अपने स्वामी/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से, **पता :** 8ए/आरएन/65, गणेश नगर, लॉयर्स कॉलोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश – 282005. (4) श्री प्रवीण कुमार सिंह उपनाम पवन कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह चाहर, **पता :** 38 बी/43, सेवला सराय, ग्वालियर रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश–282005. **अन्य पता यहाँ पर भी :** मकान/फ्लैट नं. 203, द्वितीय तल, सूर्या अपार्टमेंट, लॉयर्स कॉलोनी, दयालबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश – 282005 की ओर से देय है।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बिक्री के किसी भी स्थगन / समापन के अभाव में, उक्त संपत्ति टीसीएल, जिसका शाखा कार्यालय 03वें तल, राजेंद्र प्लाइट, 1 रघुनाथ नगर, एम.जी. रोड, आगरा – 282002 में स्थित है, द्वारा उक्त 23 अक्टूबर, 2024 को अप. 2.00 बजे ई–नीलामी द्वारा बेची जायेगी।

ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट के साथ संपत्ति की खरीद के लिए सीलबंद ई–नीलामी, **टाटा कैपिटल लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त 22 अक्टूबर, 2024 को सायं 5.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण	अधिग्रहण का प्रकार	आरक्षित मूल्य (रु.)	धरोहर राशि ईएमडी (रु.)
संपत्ति सं. 1 : फ्लैट नं. 203, द्वितीय तल, क्षेत्र मापन 61 वर्ग मीटर, जो मौजा नागला पाड़ी, हरिपर्वत वार्ड, आगरा, उत्तर प्रदेश – 282005 में स्थित, मीरा गौतम के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख दिनाँकित 28/12/2004 के अनुसार। **निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व–** व्योम की ओर खुला, **उत्तर–** फ्लैट सं. 204, **पश्चिम–** लॉबी तथा लिफ्ट, **दक्षिण–** व्योम की ओर खुला।	भौतिक	रु. 21,79,000/- (रुपये इक्कीस लाख उन्यासी हजार मात्र)	रु. 2,17,900/- (रुपये दो लाख सत्रह हजार नौ सौ मात्र)
संपत्ति सं. 2 : मिनजुमला खसरा सं. 259 धारक भूमि का भूखण्ड, क्षेत्र मापन 250.83 वर्ग मीटर, जो नागला पाड़ी, तहसील एवं जनपद आगरा, उत्तर प्रदेश – 282005 में स्थित है, जिसे अधिक विशिष्ट ढंग से अनिल गौतम तथा श्री प्रवीण कुमार सिंह उपनाम पवन कुमार के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख दिनाँकित 26/03/2004 में विवरणित किया गया है। **निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व–** अन्य की संपत्ति, **पश्चिम–** श्री रामनाथ की संपत्ति, **उत्तर–** अन्य का भूखण्ड, **दक्षिण–** भूखण्ड का निकास तथा रास्ता 30 फीट चौड़ा।		रु. 1,12,19,400/- (रुपये एक करोड़ बारह लाख उन्नीस हजार चार सौ मात्र)	रु. 11,21,940/- (रुपये ग्यारह लाख इक्कीस हजार नौ सौ चालीस मात्र)

बिक्री के लिए रखी जाने वाली संपत्ति का विवरण अनुसूची में है। चल वस्तुएं/घरेलू सामान, यदि कोई हो, जो ऊपर वर्णित अनुसार सुरक्षित परिसंपत्ति के अंदर या भीतर पड़ा हो, तब तक प्रतिभूत परिसंपत्ति के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि नीलामी बिक्री सूचना में उसका विशेष रूप से वर्णन न किया गया हो। यदि पूर्वोक्त देय राशि, ब्याज और लागत (बिक्री की लागत सहित) प्राधिकृत अधिकारी को सौंप दी जाती है या उन्हें संतोषप्रद प्रमाण दे दिए जाते हैं कि ऐसे प्रतिभूत ऋण, ब्याज और लागत की राशि का भुगतान कर दिया गया है, तो भी बिक्री रोक दी जाएगी। बिक्री के समय आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी निविदा प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालांकि, इस बिक्री के संबंध में कोई कर्तव्य निभाने वाला कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई संपत्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित नहीं रखेगा या बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। बिक्री सरफाएसि अधिनियम, 2002 के अंतर्गत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। ई–नीलामी 23 अक्टूबर, 2024 को अप. 2.00 से 3.00 बजे के बीच पोर्टल **https://disposalhub.com** के माध्यम से होगी, जिसमें प्रत्येक 10 मिनट का असीमित विस्तार होगा। संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्तुत सभी बोलियों के साथ आगरा में देय **"टाटा कैपिटल लिमिटेड"** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ऊपर उल्लिखित बयाना राशि संलग्न करनी होगी। संपत्ति का निरीक्षण 11 अक्टूबर, 2024 को मध्या. 11.00 से सायं 5.00 बजे के बीच किया जा सकता है।

ऋणभार : यहाँ **'अनुलग्नक/अनुसूची'** में वर्णित संपत्ति की नीलामी बिक्री माननीय ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, इलाहाबाद के समक्ष वर्तमान में लंबित और न्यायोचित किसी भी ऋणभार, दावे या विवाद के अधीन है। पक्ष स्वीकार करते हैं कि उक्त संपत्ति डीआरएटी के समक्ष चल रही कानूनी कार्यवाही का विषय है, और न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी परिणाम आदेश या निर्देश का कानून के अनुसार सख्ती से पालन किया जाएगा। सफल बोलीदाता इस प्रकार संपत्ति को उसकी वर्तमान कानूनी स्थिति में स्वीकार करने के लिए सहमत है, यह समझते हुए कि संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी भी ऋणभार या देनदारियों या न्यायाधिकरण के आदेशों को नीलामी के बाद सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा, सफल बोलीदाता संपत्ति की कानूनी स्थिति और ऋणभार के बारे में अपने स्वयं के उचित परिश्रम का संचालन करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है और इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के खिलाफ विक्रेता को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है।

नोट : इच्छुक बोलीदाता गण **टाटा कैपिटल लिमिटेड** से मोबाइल नं. +91–8691005238/ **प्राधिकृत अधिकारी :** श्री जगदीप सहरावत, ईमेल आईडी : **jagdeep.sehrawat@tatacapital.com** और मोबाइल नंबर +91 8588806158 से संपर्क कर सकते हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट, अर्थात, **https://bit.ly/3zA0Tu8** में दिए गए लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

स्थान : आगरा (उत्तर प्रदेश)
दिनाँक : 27/09/2024

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल लिमिटेड

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

द्वितीय तल, जीएमटीटी बिल्डिंग
डी–7, सेक्टर–3, नोएडा (उ.प्र.)–201301

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु) [नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, यहां नीचे अंकित तिथियों पर ऋणकर्ता/गारंटर को मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को संबंधित मांग सूचना में अंकित राशि का सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता/बंधककर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता/बंधककर्ता, सह–ऋणकर्ता/बंधककर्ता, सह–ऋणकर्ता और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथियों पर, सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता/बंधककर्ता, सह–ऋणकर्ता/बंधककर्ता और सह–ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

ऋणकर्ता/बंधककर्ता, सह–ऋणकर्ता/बंधककर्ता और सह–ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्यतय सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें निम्नांकित बकाया राशि(यों) की एक राशि और इन पर निम्नलिखित प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित ब्याज और अन्य शुल्कों/व्ययों हेतु उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता / सह–ऋणकर्ता / बंधककर्ता का नाम एवं पता	अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि तथा अधिग्रहण की तिथि	मांग सूचना के अनुसार राशि
(1) राजू पुत्र राजा उर्फ राजा खान, 81, वैसपाड़ा अतरौली, राधा विहार के पीछे, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202280, (2) परवीन बेगम पत्नी राजू, 81, वैसपाड़ा अतरौली, राधा विहार के पीछे, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202280, इसके अलावा : मकान नंबर : 87, वैसपाड़ा–2, थाना अतरौली, तहसील : अतरौली, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202280, (3) नसीम बेगम पत्नी राजा उर्फ राजा खान, 81, वैसपाड़ा अतरौली, राधा विहार के पीछे, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202280, ऋण खाता संख्या 2269210180000069 के अंतर्गत	51 वर्ग मीटर अधिमापन की आवासीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश संख्या : 350/360 पर, मौजा, अतरौली पट्टी शेर सिंह, नई आबादी, परगना और तहसील: अतरौली, अलीगढ़ में स्थित है, जिसकी सीमा इस प्रकार है: सीमाएँ: पूर्व: अरमान खान का प्लॉट, पश्चिम: सड़क, उत्तर: सड़क, दक्षिण: सड़क। संपत्ति नसीम बेगम पत्नी राजा की है, अर्थात आप में से 3 नंबर वाले की है।	मांग सूचना की तिथि : 24/06/2024 अधिग्रहण की तिथि :25/09/2024	रु. 11,12,430/– दिनाँक 23/06/2024 के अनुसार

दिनाँक : 27–09–2024 स्थान : उत्तर प्रदेश प्राधिकृत अधिकारी

AUTHUM

ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 707, रहेजा सेंटर, फ्री प्रेस जर्नल रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई–400 021.
फोनः (022) 6747 2117 फैक्सः (022) 6747 2118 ई–मेलः info@authum.com

मांग सूचना

जबकि नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं ने ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ("एआईआईएल") (परिणामी कंपनी रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ("आरसीएफएल") से एआईआईएल में एनसीएलटी के आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनुसार ऋण व्यवसाय के विभाजन के बाद बनी कंपनी) से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी, हम बताते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद, उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं ने देय तिथियों के अनुसार ब्याज और मूल राशि के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूक की हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों के अनुसार एआईआईएल की पुस्तकों में नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों पर खाते को गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एआईआईएल के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों पर मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं से नोटिस में उल्लिखित राशि को नोटिस में उल्लिखित राशि पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ भुगतान की तिथि तक नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है। उनके अंतिम ज्ञात पते पर जारी किए गए नोटिस बिना तामील के वापस आ गए हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋण संख्या /उधारकर्ता का नाम/ पता	सह–उधारकर्ता और गारंटर का नाम निदेशक का नाम	एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	लोन की राशि
1	**RLELHIS000408402/** रोनक लॉजिस्टिक्स, हिसार रोड, तोशाम, भिवानी, हरियाणा जिप: 127040 एमबी: 9992230008, ईमेल: **Sonupanghal11@Gmail.com**	सोमबीर सिंह करमबीर सिंह मीना कुमारी	19–12–2021	11–09–2024	रु. 2566206/– (पच्चीस लाख छियासठ हजार दो सौ आठ रुपये मात्र)	रु.1430228/– (रु. चौदह लाख तीस हजार दो सौ अट्ठाईस मात्र)

सुरक्षित परिसंपत्तियों का संपत्ति पताः– खसरा सख्या 2891,2889/1, 2891–एम और 2888 राजस्व गाव मेरठ परगना तहसील और जिला का पूरा टुकड़ा।

उपर्युक्त परिस्थितियों में, उपरोक्त उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं और/या उनके गारंटरों (जहां भी लागू हो) को नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान भविष्य के ब्याज और लागू शुल्कों के साथ करें, अन्यथा इस नोटिस की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के बाद सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) और उसके तहत लागू नियमों के तहत उधारकर्ताओं और बंधककर्ताओं की सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा लेना शामिल है।

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत, कोई भी उधारकर्ता, सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, नोटिस में उल्लिखित अपनी किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित नहीं करेगा।

दिनांक : 27.09.2024 **प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थानः मेरठ – उत्तर प्रदेश **ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**

कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड

CAPITAL INDIA Home Loan
पंजीकृत पताः 701, 7वीं मंजिल, अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, प्लॉट नंबर 23, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली –110008,
CIN: U65990DL2017PLC322041

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए नीलामी बिक्री सूचना

आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिनका कब्जा कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड/प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित कर्जदारों और गारंटर(रों) से प्रतिभूत लेनदार को देय नीचे उल्लिखित बकाया राशि और वसूली की तिथि तक उस पर आगे ब्याज और अन्य व्ययों की वसूली के लिए उन्हें नीचे उल्लिखित तिथि और समय पर "जहां है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य, जमा धरोहर राशि (ईएमडी) और ईएमडी जमा की अंतिम तिथि भी नीचे उल्लिखित है:

कर्जदार/सह–कर्जदार/ गारंटर(रों) के नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	तिथि तक बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / जमा धरोहर राशि	नीलामी की तिथि एवं समय
1. लीना देवी पत्नी नवीन कुमार 2. नवीन कुमार पुत्र लक्ष्मी चंद ऋण संख्या HLNHFLNCR0016063	छत के अधिकार के साथ शीर्ष मंजिल, प्लॉट नंबर 1 पर निर्मित, नया नंबर बी –71, जिसे अब बी –71 बी के रूप में जाना जाता है, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, यानी 41.8 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 576 में से, गांव बिंदापुर की राजस्व संपदा में स्थित, कॉलोनी प्रताप गैरेंद, उत्तम नगर, नई दिल्ली –110059, सभी अधिकारों के साथ (सामान्य क्षेत्रों, सुविधाओं, सुख–सुविधाओं, विकास अधिकारों आदि (जैसा लागू हो) का उपयोग करने और उन पर कब्जा करने के अधिकारों तक सीमित नहीं है), और सभी फर्नीचर, फिक्स्चर, फिटिंग और उससे जुड़ी चीजें, सीमाएं: पूर्व: संपत्ति नंबर बी –72, पश्चिम: प्लॉट का हिस्सा, उत्तर: सड़क 20 फीट चौड़ी, दक्षिण: अन्य की संपत्ति	रु. 15,69,190/- तिथि 09.04.2024	रु. 18,40,320/- / रु. 1,04,032/-	28.10.2024 1.30 बजे अप.

संपत्ति के ऑन–साइट निरीक्षण की तिथि और समय: 07 और 08 अक्टूबर, 2024 (सुबह 11.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक)

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड/प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट यानी **https://www.bankauctions.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

इच्छुक बोलीदाता संदीप शिवाजी कांबले, मोबाइल: 9322572949/8600200088 से संपर्क भी कर सकते हैं

कर्जदार/गारंटर को बिक्री सूचना

उपरोक्त को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित सूचना 9(1) के रूप में माना जाएगा, जो प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए बाध्य करता है।

दिनांक: 27-09-2024, स्थानः गाजियाबाद, (उ.प्र.) हस्ता./ प्राधिकृत अधिकारी
कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड

Indiabulls ASSET RECONSTRUCTION

इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

(CIN:067110MH2006PLC305312)
पंजी. कार्यालयः वन इंटरनेशनल सेंटर, टावर–1, चौथी मंजिल, से